O/o CE (EITC)
Receipt No. 7631
Date 02 JAN 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.....Web
Section.........

7631

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 15/2019 दिनांक 26.11.2019

श्री पियूष कुमार
हाउस नबंर– 197 परषुराम वार्ड
पांडातराई, जिला– कबीरधाम (छ0ग0)

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया,
रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 28/12/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री पियूष कुमार की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 15/2019 दिनांक 26.11.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पियूष कुमार ने आवेदन दिनांक 17.10.2019 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से कनिष्ठ यंत्री भर्ती परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई है :–

(अ) गत दिनांक 06.04.2018 को प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 01–04/HR-VIII/244 जो कि CSPHCL द्वारा J.E. (T) Electrical के पद हेतु प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापन के तहत चयनित समस्त अभ्यर्थी जिन्हे विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त चयनित अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण मेरिट लिस्ट के प्रारूप में।

(ब) गत दिनांक 06.04.2018 को प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 01–04/HR-VIII/244 जो कि CSPHCL द्वारा AE (T) Electrical के पद हेतु प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापन के तहत परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण मेरिट लिस्ट के प्रारूप में।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा 01 पृष्ठ में अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करायी गई है जिससे अपीलार्थी असंतुष्ट है, अतएव उन्होने प्रथम अपील प्रस्तुत किया है।

(3) उक्त दर्ज अपील को स्वीकार कर सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./15/2019/30 दिनांक 02.12.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 24.12.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री पियूष को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त सुनवाई में

अपीलार्थी, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग की ओर से प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नही किया जाना है। अतः वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। उपरोक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1907 दिनांक 08.11.2019 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।

(5) अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, उभय पक्षो के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे जानकारी नही दी गई है, अतएव असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दर्ज किया है। अतः उन्हे चाही गई जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(iii) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि आवेदक द्वारा कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) एवं सहायक यंत्री (प्रशिक्षु) के भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है, जो व्यक्तिगत सूचना है। अतएव धारा 8(1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नही किया जाना है। अतः वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

जैसा कि परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् जानकारी दी जा सकती है जो नियम के अनुसार हो। परंतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त हुए है उन्हें प्रकट किया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।

(iv) अपीलार्थी श्री पियुष कुमार द्वारा उन्हें केवल बिन्दु क्रमांक 01 में वांछित J.E. (T) Electrical के पद के लिये दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित समस्त उम्मीदवारों के अंको का विवरण प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर संबंधित प्रभाग से उपस्थित प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जानकारी उपलब्ध कराये जाने योग्य है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में की गई कार्यवाही तत्कालीन समयावधि अनुसार नियमानुसार सही है एवं कंडिका 5 (iv)/टीप के अनुसार अपीलाथी के निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें बिन्दु क्रमांक 01 में वांछित J.E. (T) Electrical के पद के लिये दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित समस्त उम्मीदवारों के अंको का विवरण प्रदान किया

जा सकता है। अतएव प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकारी अपीलार्थी को अपील आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें।

उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 15/2019 दिनांक 26.11.2019) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –15/2019/37 रायपुर, दिनांक 28/12/2019

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2 प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 श्री पियूष कुमार, हाउस नबंर–197 परषुराम वार्ड, पांडातराई जिला–कबीरधाम (छ.ग.) पिन–491559 को सूचनार्थ प्रेषित।
4 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700